an>

Title: Need for police reforms in the country.

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) ः भारत में पुलिस सुधार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसका कारण यह है कि देश में अधिकांश राज्यों की पुलिस आज भी वर्ष 1861 में बने पुलिस अधिनियम के अनुसार ही कार्य कर रही है। आज आज़ादी के 67 वर्ष बीत चुके हैं तथा आवश्यकताएंÃ¬ काफी बदल चुकी हैं किंतु पुलिस व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है। गुवाहाटी में आयोजित किए गए डी.जी.पी. के 49वें वार्षिक सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री ने पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात कहीं। उनके कथन का तात्पर्य यह था कि पुलिस को सख्त परंतु संवेदनशील, आधुनिक और गतिशील चुस्त और जवाबदेह विश्वसनीय और जिम्मेदार तथा प्रशिक्षित और तकनीकयुक्त होना चाहिए किन्तु अभी तक पुलिस को स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए संयुक्त रूप से कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में किये जा रहे सकारात्मक प्रयास से मुझे अवगत कराया जाये।